

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ- 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91-9151024463
Website: www.upsmfac.org Email: upmedicalfaculty@upsmfac.org



Ref No:- 712/23

Date:- 20.01.2023

COMBINED PARAMEDICAL SELECTION PROCESS: 2022-23

Special Counselling (Offline)

विशेष ऑफलाईन काउंसलिंग

ऑनलाईन पंजीकरण तिथि: 19 जनवरी से 22 जनवरी 2023 शाम 05:00 बजे तक

विशेष काउंसलिंग (ऑफलाईन) हेतु दिशा-निर्देश –

- सर्वप्रथम अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध सीटों की संख्या का आकलन स्वयं कर लें।
- अभ्यर्थी को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ की अधिकारिक वेबसाइट <https://upsmfac.org> अथवा <https://upsmfaccpsp.org> पर जाकर विशेष काउंसलिंग हेतु पंजीकरण करना होगा।
- सर्वप्रथम अभ्यर्थी को **USERID/Registration** एवं **Password** के माध्यम से लॉगिन करके काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क ₹700/- ऑनलाईन जमा करना होगा एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं विषयों का ऑनलाईन च्वाइस भरकर **Save** करना होगा।
- अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को पुनः लॉगिन करके च्वाइस लेटर एवं काउंसलिंग पत्र **Counselling Reporting Letter** डाउनलोड कर सकते हैं।
- अभ्यर्थी को ₹ 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी हेतु जोकि "SECRETARY, U.P. STATE MEDICAL FACULTY, LUCKNOW" के पक्ष में देय हो बनवाना होगा।
- काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना होगा—
 - ✓ अभ्यर्थी मूल आईडी कार्ड एवं **Counselling Reporting Letter** का 2 प्रति प्रिंट आउट।
 - ✓ ₹ 5000 का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी हेतु जोकि "SECRETARY, U.P. STATE MEDICAL FACULTY, LUCKNOW" के पक्ष में देय हो।
- जिन अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र जारी किया जायेगा उन्हें उक्त डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी के रूप में काउंसलिंग स्थल पर जमा करना होगा।
(डिमांड ड्राफ्ट के अभाव में अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकता है एवं उसका किसी भी सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।)
- जिन अभ्यर्थियों को प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त हुआ था एवं आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करते हैं तो उन्हें काउंसलिंग में सिक्योरिटी मनी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- काउंसलिंग में आने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी को सीट आवंटन प्राप्त हो जायेगा। सीटों का आवंटन अभ्यर्थी की उपस्थिति, कम्बाइन्ड रैंक एवं उसके च्वाइस के अनुसार सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
- काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

- यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में किसी भी स्तर से अनियमितता पायी जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि अभ्यर्थी को कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है **डिमांड ड्राफ्ट तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।**
- ऑफलाईन काउंसलिंग का आयोजन लखनऊ में किया जायेगा। निर्धारित काउंसलिंग स्थल एवं तिथि **Counselling Reporting Letter** के साथ वेबसाइट <https://upsmfac.org> अथवा <https://upsmfacppsp.org> पर जारी किया जायेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी ने उपश्रेणी के साथ आवेदन किया हो परन्तु उसके पास उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी अपनी मुख्य श्रेणी एवं संयुक्त रैंक के आधार पर निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में प्रतिभाग कर काउंसलिंग करा सकते हैं।
- काउंसलिंग से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी। निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अभ्यर्थी को **Counselling Reporting Letter** के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा।

काउंसलिंग प्रक्रिया

- मेरिट सूची जारी किये जाने के पश्चात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग में सभी श्रेणी (UR, OBC, SC, ST, EWS) एवं उपश्रेणी (PH, FF, Ex- Army) के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया था। काउंसलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों पर विशेष ऑफलाईन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है।
- **विशेष ऑफलाईन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी:** विशेष ऑफलाईन काउंसलिंग में सभी श्रेणी (UR, OBC, SC, ST, EWS) एवं उपश्रेणी (PH, FF, Ex- Army) के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं।
- **विशेष ऑफलाईन काउंसलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी:** जिनको एक बार अपग्रेडेशन प्राप्त हो गया है एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम उपश्रेणी की सीटें (ALL PH, ALL FF, ALL Ex- Army) आवंटित की जायेगी। तत्पश्चात् आरक्षण श्रेणी (ALL OBC, ALL SC, ALL ST, ALL EWS) की सीटों का आवंटन किया जायेगा।
- यदि उपश्रेणी की सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उन सभी सीटों को उनकी मुख्य श्रेणी में परिवर्तित कर आवंटन किया जायेगा। तत्पश्चात् यदि आरक्षित सीटें (OBC, SC, ST, EWS) की सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें अनारक्षित (UR) में परिवर्तित कर भरी जायेगी।
- आवंटन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।
- विशेष ऑफलाईन काउंसलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होता है तो ऐसी स्थिति में उसका पूर्व में आवंटित सीट रिक्त हो जायेगी। पूर्व में आवंटित सीट पर उस अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा एवं इस रिक्त हुई सीट पर उसके आगे वाले अभ्यर्थी को आवंटन हेतु मौका दिया जायेगा।



सचिव,

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।